समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,
दिल्ली गेट, नई दिल्ली–02

तांराकित प्रश्न सख्याः- 20

दिनॉकः - **06.06.2018**

प्रश्नकर्ताः - श्री ओम प्रकाश शर्मा

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	पिछली विधान सभा से अब तक वृद्धावस्था पेंशन धारकों, विधवा पेंशन धारकों व विकलांग पेंशन धारकों के लाभ के लिए क्या कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं;	1) वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की क्षमता सीमा (Capping Limit) 1 लाख बढा दी गई । 2) विभाग के पेंशन भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये कुछ परिवर्तन किये गये हैं । सभी पेंशन सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Public Financial Management System) द्वारा प्रेषित की जा रही है । 3) केबिनेट निर्णय संख्या– 2462 दिनांक 06 जनवरी 2017 के अनुसार माह फरवरी 2017 से वृद्धावस्था/विकलांग पेंशन में रूपये 1000/–प्रतिमाह की वृद्धि की गई है । जिसके उपरान्त 60–69 आयु वर्ग के लाभार्थियों की पेंशन रूपये 1000/– से बढाकर रूपये 2000/– प्रतिमाह कर दी गई है तथा 70 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन की पेंशन राशि रूपये 1500/– प्रतिमाह से बढाकर रूपये 2500/– प्रतिमाह कर दी गई है । 4) वृद्धावस्था पेंशन मे पात्रता हेतु वार्षिक आय सीमा रूपये 60 हजार से बढाकर 1 लाख व विकलांग पेंशन में वार्षिक आय सीमा रूपये 75000/–से बढाकर 1 लाख कर दी गई है । 5) विधवा पेंशन योजना में लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से जीवनपर्यन्त की गई ।

Financial Assistance Section,
Deptt. of Social Welfare,
Govt. of N.C.T. of Delhi

		6) विधवा लाभार्थियों की पेंशन की राशि रू0 1500/– से बढाकर रू0 2500/–की गई ।
.(ख)	क्या यह सत्य है कि पेंशन धारकों की शिकायतों के निवारण हेतु सरकार ने कॉल सेन्टर स्थापित करने की घोषणा की थी;	जी हॉ ।
(ग)	यदि हां, तो इसके कियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इन कॉल सेन्टरों के हेल्प लाइन नम्बरों का विवरण क्या है;	वर्तमान में यह कॉल सेन्टर नये ऑनलाइन आवेदनों के पूर्ण रूप से समस्या समाधान हेतु कियान्वित है । इसका हेल्प लाइन नं0 –1031 है । पुरानी पेंशन संबंधी जानकारी भी पूर्ण रूप से कॉल सेन्टर से देने हेतु विभाग IT विभाग के साथ मिलकर योजना का अंतिम प्रारूप तैयार कर रहा है ।
(घ)	क्या पेंशन धारकों की सहायता हेतु कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;	जी हॉ । विभाग द्वारा इस कार्य हेतु कुल 52 Data Entry Operators की भर्ती की जा रही है । 20 जून तक यह प्रकिया पूर्ण कर ली जायेगी ।
(ड)	यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;	
(च)	क्या यह सत्य है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन धारकों को पेमेंट पोर्टल से लिंक करना आवश्यक है जिसके कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और	केवल 70 वर्ष से अधिक आयु के ही नही अपितु सभी आयु वर्ग के लाभार्थियों को अपना खाता आधार से लिंक कराना अनिवार्य है । समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत आर्थिक सहायता अनुभाग द्वारा विभाग के पेंशन भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये कुछ परिवर्तन किये गये हैं । सभी पेंशन सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Public Financial Management System) द्वारा प्रेषित की जा रही है । इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जाता है कि नई दर से बढी हुई पेंशन राशि केवल आधार लिंक खातों में ही प्रेषित की जा रही है अन्यथा पुरानी दर से ही पेंशन राशि दी जा रही है । अतः बढी हुई पेंशन राशि प्राप्त करने हेतू लाभार्थी का बैंक खाता आधार से NPCI पोर्टल पर सब्सिडी पाने की प्रक्रिया के समान लिंक होना आवश्यक है । पेंशनधारियों की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुये विभाग एक नया केबिनेट नोट प्रस्तावित करने की प्रक्रिया में है जिससे सभी लाभार्थियों को बढी हुई पेंशन का लाभ दिया जा सके जब तक कल्याण योजनाओं के लिये आधार लिंकिंग हेतु उच्चतम न्यायालय का कोई अंतिम निर्णय प्राप्त हो जाये। क्योंकि पूर्व केबिनेट निर्णय संख्या 2462

Financial Assistance Section
Deptt. of Social Welfare,
Govt. of N.C.T. of Delhi.

		दिनॉक 06/01/2017 के अनुपालन में केवल आधार लिंक खातों में ही बढी हुई पेंशन दिये जाने की मंजूरी है ।
(छ)	यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?	इस संदर्भ में सभी लाभार्थियों के माध्यम से विभाग द्वारा बैंकों को लिखित निर्देश भिजवाये जा रहे हैं जिसमें आधार लिंक करने का पूर्ण विवरण दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त NPCI, UIDAI, SLBC इत्यादि के साथ समय–समय पर मीटिंग के द्वारा बैंकों को लाभार्थियों के खाते आधार से लिंक करने के लिये सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया जा रहा है । दिनांक 04/06/2018 को मंत्री, समाज कल्याण, दिल्ली सरकार ने SLBC की 91वी बैठक में भाग लेकर, इस विषय को रिजर्व बैंक तथा दिल्ली के सभी बैंकों के उच्च अधिकारियों के समक्ष आधार लिंकिंग सुचारू रूप से करने के लिये बैंकों की सक्रिय भूमिका का आग्रह किया । इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों तथा सरकारी अधिकारियों की एक कमेटी इस समस्या का निवारण करेंगें जिसका कि साप्ताहिक मूल्यांकन किया जायेगा और डेढ से दो महीने के अन्दर इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा ।

Financial Assistance Section,
Deptt. of Social Welfare,
Govt. of N.C.T. of Delhi